

क्षतिपूरक वृक्षारोपण के व्यय वहन की वचनवद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नवीनतम शासनादेश सं० - एफ०सी० - 11/165/2019-एफ.सी. दिनांक, 27.07.2020 (प्रति संलग्न) के क्रम में अवगत कराना है कि - *"CA may not be levied in case of laying of underground Optical Fiber Cables (OFC), telephone lines, drinking water supply pipelines, electricity cables, CNG/PNG and Slurry pipelines within the RoW of existing roads (trench size not more than two meter in depth and one meter in width) not falling in National Parks and Wildlife Sanctuaries without felling of trees."*

यदि इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या भारत सरकार या माननीय न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का भी अनुपालन पूर्ण रूपेण करने की वचनवद्धता दी जाती है।

C.S.
6/2/2021
(दीक्षा भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
(हापुड़)

कृते इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Sr. Vice President (Projects)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
"IGL BHAWAN", PLOT NO. 4,
COMMUNITY CENTRE, SECTOR-9, R.K. PURAM
NEW DELHI-110 022